न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—79 / 2014 / 223 (2014 / 00001)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्योनाथ पुत्र सूरज्यानाथ योगी, निवासी ग्राम भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि0), अजमेर दिनांक 30. 5.2013 अंतर्गत वाद संख्या 95 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—16.8.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि0), अजमेर के निर्णय दिनांक 30.5.2013 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी—रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूडोल में उसकी पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 1305 साबिक खसरा नंबर 828 रकबा करीब 35 बीघा स्थित है जिस पर वादी एवं उसके पूर्वज करीब 70—80 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उपभोग—उपयोग करते आ रहे है । वादी उक्त भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से तहसीलदार, अजमेर वादी के खिलाफ धारा 90 व 90—अ एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही कर वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण में दिनांक 30.5.2013 को निर्णय पारित कर तहसीलदार, अजमेर को निर्देश दिये कि विवादित भूमि के संबंध में ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 1305 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान नवीन खसरा संख्या 1585, 1710, 1712, 1766, 1776, 1777 बने है पर वादी श्योनाथ के कब्जे / काश्त आराजी बाबत् नियमानुसार जांच कर

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भेजे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अंसतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 का वाद धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 पर विवेचन नहीं कर रेस्पो0 के पक्ष में नियमन पत्रावली बनाकर पेश करने के आदेश देकर कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार रेस्पो0/वादी का विवादित आराजी पर लगातार कब्जा काश्त होना सिद्ध नहीं था तथा ना ही पूरे रकबे पर लगातार कब्जा काश्त रहा है । रेस्पो0 को समय समय पर नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल भी किया जाता रहा है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0/वादी के पक्ष में निर्णय पारित कर प्रकरण नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी को भिजवाने के निर्देश तहसीलदार को जारी किये है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0/वादी ने खातेदार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अधी0न्याया0 को स्पष्ट रूप से या तो वादी का वाद स्वीकार करना चाहिये था अथवा निरस्त करना चाहिये था । वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के क्षैत्राधिकार में स्थित है जिसके संबंध में भी अधी0न्याया0 ने गौर नहीं किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय राज0काश्त0अधि0 की मंशा के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम जानकारी अधी0न्याया0 के पत्र क्रमांक 355 दिनांक 3.6.2013 से हुई जिस पर नियमानुसार निर्णय की प्रति व पटवारी मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड की नकले संलग्न कार्यालय जिला कलक्टर के यहां अंक्रिम कार्यवाही बाबत् मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया । तत्पश्चात् जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 27.1.2014 से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्ण विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0/वादी तहसीलदार, अजमेर को रेस्पो0/वादी के कब्जे काश्त की जांच कर प्रकरण नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी को भिजवाने के निर्देश दिये है ना कि वादी का वाद डिक्री किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय मात्र सिफारिश है जिससे रेस्पो0 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा अधी0न्याया0 द्वारा की गई सिफारिश की अपील भी पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 30.5.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि

वादी/रेस्पो0 ने विवादित भूमि खसरा संख्या 828 रकबा 35 बीघा बाबत् धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 30.5.2013 को निर्णय पारित कर तहसीलदार, अजमेर को निर्देश दिये है कि विवादित भूमि के संबंध में ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 1305 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान नवीन खसरा संख्या 1585, 1710, 1712, 1766, 1776, 1777 बने है पर वादी श्योनाथ के कब्जे/काश्त आराजी बाबत् नियमानुसार जांच कर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भेजे । अधी0न्याया0 का उक्त निर्णय निर्णय व डिक्री न होकर मात्र अभिशंसा है तथा अभिशंसा से किसी पक्षकार को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुए है । यदि नियमों के तहत कोई अनुतोष प्राप्त होता है तो वह बिना किसी न्यायालय की अभिशंषा के भी प्राप्त कर सकता है ।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य होने से खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.5.2013 यथावत् रखा जाता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर